माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

website-msuniversity.ac.in E-mail id – registrar @msuniversity.ac.in

पत्रांक: 652 / प्रशा0 / MSU / 2025–26 दिनांक: 02/07/2025

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।

विषय:– **प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्गत संचालन एवं अनुरक्षण नीति 2024 के अनुपालन हेतु दिशा–निर्देश।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक,(उ0शि0) डिग्री विकास अनुभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र सं0–डिग्री विकास / 843 / 2025–26, दिनांक: 19.06.2025 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, लखनऊ के पत्र सं0–1354 / सत्तर–3–2025, दिनांक: 05.06.2025 (प्रति संलग्न) तथा प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, लखनऊ के पत्र सं0– 27 / 2025 / 1316 / छिहत्तर–1–2025 / 1739613, दिनांक: 21.05.2025 संलग्न कर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्गत संचालन एवं अनुरक्षण नीति 2024 के अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि सम्बन्धित प्रकरण पर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या विश्वविद्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

2-7-25

(कमल कृष्ण)
कार्य0 कुलसचिव

पत्रांक एवं दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

01. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
02. गार्ड फाईल।

(संजीव कुमार)
सहा0 कुलसचिव, प्रशासन

ई-मेल

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ०शि०)
डिग्री विकास अनुभाग
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

सेवा में,

1- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- कुलसचिव, समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: डिग्री विकास / 8173 / 2025-26 दिनांक- 19/ 06 /2025

विषयः-प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्गत संचालन एवं अनुरक्षण नीति 2024 के अनुपालन हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या- 1154/सत्तर-3-2025 दिनांक- 05 जून 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश का पत्र दिनांक- 21.05.2025 संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन द्वारा प्रेषित किया गया है।

उक्त के क्रम में शासन का पत्र सलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्गत संचालन एवं अनुरक्षण नीति 2024 के अनुपालन हेतु दिशा निर्देश में अग्रेतर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही की आख्या इस कार्यालय के ई-मेल dhedegreevikas@gmail.com पर तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक उक्तवत्।

भवदीय

Digitally signed by
SHASHI KAPOOR
Date: 19-06-2025
13:15:12

डॉ०(शशि कपूर)
संयुक्त निदेशक (उ०शि०)
कृते शिक्षा निदेशक (उ०शि०)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

पृष्ठांकन संख्या डिग्री विकास/ / उसी तिथि को।

प्रतिलिपि- अनु सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-03 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

601

1. AR (Admin)

माँ शाकुम्भरी वि० वि० सहारनपुर
19/19 को
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
Date Month Year

डॉ०(शशि कपूर)
संयुक्त निदेशक (उ०शि०)
कृते शिक्षा निदेशक (उ०शि०)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

548

21-6-25

प्राप्ति
25-6-25

4:00 Am

E-836325

संख्या-1354/सत्तर-3-2025

222
11/06/2025

प्रेषक,

जयवन्त,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/ निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

(66)

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 05 जून, 2025

विषय- 'प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्गत संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024' के अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-27/2025/1316/छिहत्तर-1-2025/1739613, दिनांक 21.05.2025 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेशक हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को भी समयान्तर्गत अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by Jaiwant
Date: 05-06-2025 13:38:34
(जयवन्त)
अनु सचिव।

डा० अमित सिंह
06/6/2025

10/6/25

9/6/25

(11)

संख्या-1354 / सत्तर-3-2025-27/2025/1316 /सिंचाई-1-2025/1739613

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 21 मई, 2025

विषय:- 'प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्गत संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024' के अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

अवगत कराना है कि देश की ग्रामीण आबादी को शुद्ध एवं नियमित रूप से दीर्घकाल तक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से पूरे देश में प्रारम्भ किये गये नेशनल जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश की लगभग 17 करोड ग्रामीण आबादी को निर्धारित मात्रा में नियमित रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश में 40966 पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 33157 योजनाएं सौर ऊर्जा आधारित हैं। जल जीवन मिशन से इतर निर्मित अन्य पाइप पेयजल योजनाओं को शामिल करते हुए कुल 44142 योजनाएं निर्मित / निर्माणाधीन हैं।

2- प्रदेश में भूजल की उपलब्धता एवं तकनीकी ग्राह्यता के आधार पर भूजल स्रोत आधारित एकल ग्राम योजना (SVS) एवं भूजल स्रोत/ सतही स्रोत आधारित बहुल ग्राम योजना (MVS) का निर्माण कराया जा रहा है। सतही स्रोत आधारित बहुल योजनाओं में विन्ध्य / बुंदेलखण्ड तथा गुणता प्रभावित क्षेत्र सम्मिलित हैं। प्रदेश में अभिनव प्रयोग करते हुए 33157 योजनाओं पर सौर ऊर्जा स्थापित कर पारंपरिक विद्युत पर निर्भरता कम की गई है। इस अभिनव प्रयोग का कार्बन-डाई-ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर भारत के शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान होगा।

3- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में है तथा भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये जल जीवन मिशन के अंतर्गत विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है तथा कतिपय योजनाएं निर्माणाधीन एवं अपने अंतिम चरण मे हैं। पूर्व निर्मित तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्मित / निर्माणाधीन ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सुस्पष्ट विस्तृत नीति की आवश्यकता के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-63/2024-2066/76-1-2024/1739613 दिनांक 29 अगस्त, 2024 द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024 प्रख्यापित कर निर्गत की गयी है।

28/05/25

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के लिए प्रख्यापित संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024 के अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश ।

देश की ग्रामीण आवादी को शुद्ध एवं नियमित रुप से दीर्घकाल तक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उददेश्य से पूरे देश में पारम्भ किये गये नेशनल जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश की लगभग 17 करोड़ ग्रामीण आवादी को निर्धारित मात्रा में नियमित रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश में 40966 पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 33157 योजनाएं सौर ऊर्जा आधारित हैं। जल जीवन मिशन से इतर निर्मित अन्य पाइप पेयजल योजनाओं को शामिल करते हुए कुल 44142 योजनाएं निर्मित / निर्माणाधीन हैं।

2- प्रदेश में भूजल की उपलब्धता एवं तकनीकी ग्राह्यता के आधार पर भूजल स्रोत आधारित एकल ग्राम योजना (SVS) एवं भूजल स्रोत/ सतही स्रोत आधारित बहुल ग्राम योजना (MVS) का निर्माण कराया जा रहा है। सतही स्रोत आधारित बहुल ग्राम योजनाओं में विन्ध्य / बुंदेलखण्ड तथा गुणता प्रभावित क्षेत्र सम्मिलित हैं। प्रदेश में अभिनव प्रयोग करते हुए 33157 योजनाओं पर सौर ऊर्जा स्थापित कर पारंपरिक विद्युत पर निर्भरता कम की गई है। इस अभिनव प्रयोग का कार्बन-डाई-ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर भारत के शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान होगा।

3- जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्मित योजनाओं तथा पूर्व में निर्मित ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु शासनादेश संख्या-63/2024/2066/छिहत्तर-1-2024-1739613 दिनांक 29-08-2024 द्वारा-प्रदेश के "ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024" प्रख्यापित की गयी है। इसी मध्य भारत सरकार के पत्र संख्या-डब्लू-11011/28/2022-जे.जे.एम.-III-डी.डी.डब्ल्यू.एस.पार्ट(I) दिनांक 27-11-2024 द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन अनुरक्षण हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गई है।

4- शासनादेश संख्या-63/2024/2066/छिहत्तर-1-2024-1739613 दिनांक 29-08-2024 द्वारा निर्गत संचालन एवं अनुरक्षण नीति 2024 एवं भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 27-11-2024 द्वारा की गई अपेक्षा के क्रम में नीति के अनुपालन हेतु निम्नवत दिशा-निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं:-

(1) पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एंव अनुरक्षण हेतु संस्थागत ढांचा- ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओ के कुशल एवं दीर्घकालिक संचालन एवं अनुरक्षण को सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्नलिखित संस्थागत ढांचा स्थापित हैं:-

(क) राज्य स्तर

राज्य स्तर पर ग्रामीण पेयजल योजनाओं के निर्माण, संचालन और अनुरक्षण (O&M) की प्लानिंग एवं अनुश्रवण का कार्य नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग

संचयन इत्यादि के लिए क्रियान्वयन सहायता एजेंसियों (ISAS), सूचना शिक्षा एवं संचार (IEC) को तैनात करने एवं उनकी सहभागिता के तौर-तरीको का विकास किया जाएगा। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा समय-समय पर क्रियान्वयन सहायता एजेंसियों (ISAS), सूचना शिक्षा एवं संचार (IEC) की सहभागिता और कार्य निष्पादन की समीक्षा की जाएगी, ताकि संचालन एवं अनुरक्षण चरण में उनका प्रभावी योगदान सुनिश्चित किया जा सके।

(vii) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कुशल एवं प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण हेतु ग्राम पंचायतों / ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा अन्य हितधारकों की क्षमतावृद्धि हेतु प्रभावी क्षमतावृद्धि हेतु कार्ययोजना तैयार करायी जायेगी, जिसमें विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों के अनुसार ट्रेनिंग मॉड्यूल शामिल होगें।

(viii) पाइप पेयजल योजनाओं से संबंधित शिकायतों की कुशल निगरानी एवं त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा एक डिजिटल शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (Grievance Redressal and Monitoring System) स्थापित की जायेगी। यह प्रणाली पेयजल आपूर्ति सेवाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की शिकायतों के समाधान के लिए जवाबदेही और समय-सीमा निर्धारित करेगी। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करके क्षेत्रीय शिकायत पैटर्न का विश्लेषण कर दीर्घकालिक समाधान विकसित किया जायेगा।

(ix) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा पेयजल आपूर्ति योजनाओं में संचालन एवं अनुरक्षण के महत्व के बारे में हितधारकों के बीच जागरूकता बढाने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) एवं व्यवहार परिवर्तन संचार (BCC) रणनीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जायेगा, जिसमें जल के विवेकपूर्ण उपयोग, जल संरक्षण, जल गुणवत्ता निगरानी, स्वच्छता निरीक्षण, स्कूली बच्चों द्वारा जागरूकता अभियान और नियमित जल शुल्क भुगतान के लाभों पर व्यापक जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार के लिए ग्राम पंचायत (GP)/ ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) को सक्रिय रूप से शामिल किया जायेगा।

(x) प्रदेश में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सौर ऊर्जा आधारित 33157 भूजल आधारित पाईप पेयजल योजनाएं बनाई गई हैं, जिन पर लगभग 900 मेगा वॉट के सोलर पैनल अधिष्ठापित हैं। जल जीवन मिशन से इतर अन्य योजनाओं के अंतर्गत पूर्व में निर्मित ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं में भी यथास्थिति सौर ऊर्जा स्थापित किया जाना लक्षित है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा इस हेतु

(v) उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा वेंडर के माध्यम से राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा विकसित केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली में IoT सेंसर और SCADA सिस्टम से डेटा का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित कराया जायेगा। यह निरंतर डेटा प्रवाह संचालन क्षमता को बढ़ाएगा, वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम बनाएगा और पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं के संपूर्ण प्रबंधन में सुधार कराया जायेगा।

(vi) उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा केंद्र / राज्य सरकार तथा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वेंडर्स द्वारा जलापूर्ति योजनाओं के लिए निर्धारित सर्विस लेवल बेंचमार्क (SLBs) और मुख्य प्रदर्शन संकेतक (KPIs) का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii) उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, भूजल विभाग, जल वैज्ञानिकों, केंद्रीय भूजल बोर्ड, मौसम विभाग और वॉटरशेड प्रबंधन में विशेषज्ञता रखने वाले प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों सहित प्रमुख विभागों और संस्थानों के साथ समन्वय कर सीज़नल जल की उपलब्धता, जल बजट, जल स्रोतों के पुनरुद्धार और वर्षा जल संचयन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आंकलन कराया जायेगा।

(viii) उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) गतिविधियों के लिए प्रत्येक गॉव में आवश्यक मानव संसाधन का आंकलन कराते हुए स्थानीय समुदायों से नल जल मित्र कार्यक्रम (NJMP) के दिशानिर्देशों के अनुसार नल जल मित्र के रूप में बहु-कौशल पाठ्यक्रमों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन और नामांकन की सुविधा प्रदान करायी जायेगी। इन प्रशिक्षित कार्मिकों का उपयोग वेंडर्स के माध्यम से ग्रामीण पेयजल योजनाओं के प्रभावी ढंग से संचालन और अनुरक्षण हेतु किया जायेगा।

(घ) जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM)–

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) का अध्यक्ष संबंधित जिले के जिलाधिकारी तथा सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियंता नामित हैं। योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) के दौरान जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) की महत्वपूर्ण भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ निम्नवत् होंगी-

(i) जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) द्वारा अनुरक्षण नीति-2024 के अनुरूप जिला संचालन एवं अनुरक्षण रणनीति और कार्य योजना तैयार करके तदनुसार संचालन एवं अनुरक्षण की गतिविधियों का निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जायेगी। इसमें भौगोलिक विविधताएँ, डेटा संग्रहण, रिपोर्टिंग, दस्तावेजीकरण, सर्वोत्तम गतिविधियों को साझा करना, प्रदर्शन मूल्यांकन तथा हितधारकों की क्षमता वृद्धि शामिल होंगे।

(ix) जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) द्वारा उपभोक्ताओं से यूजर चार्जेज के संग्रह हेतु व्यापक रणनीति तैयार की जायेगी तथा ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा संग्रहित मासिक यूजर चार्जेज का ग्रामवार रिकॉर्ड रखा जायेगा।

(x) जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा, सभी हितधारकों और संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए जनपद स्तर पर ठोस कार्य योजना तैयार की जायेगी, जिसमें किसी भी आपात स्थिति, जो पेयजल आपूर्ति की बुनियादी ढाँचे और सेवाओं को प्रभावित कर सकती है, से निपटा जा सके।

(xi) जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) द्वारा सभी हितधारकों के साथ मासिक बैठकें आयोजित की जायेगी, जिसमें सेवा वितरण, पेयजल गुणवत्ता, सर्विस लेवल बेंचमार्क, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा प्रस्तुत आंकडों एवं प्राप्त शिकायतों के निवारण के संबंध में प्रभावी समीक्षा करते हुए योजनाओं का सुचारु रुप से संचालन एवं अनुरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

(xii) जिला पेयजल एवं स्वच्छता **मिशन** (DWSM) द्वारा भूमि संबंधी विवाद, योजनाओं की क्षति, अनधिकृत टैपिंग, अवैध संयो**जन, उ**पयोगकर्ता शुल्क वसूली आदि जैसे विवादों का समाधान करना / कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(च) ग्राम पेयजल और स्वच्छता समिति (VWSC) -

(i) ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा स्थानीय उपभोक्ताओं के साथ परामर्श करके, पंप हाउस/ स्रोत स्तर पर पेयजल आपूर्ति रोस्टर तैयार कर, पर्याप्त मात्रा में नियमित रुप से शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। सेवा वितरण में किसी भी विसंगति के मामले में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM), उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) तथा संचालन एवं अनुरक्षण वेंडर को अवगत कराते हुए उसका समाधान सुनिश्चित कराया जायेगा।

(ii) ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा पेयजल आपूर्ति योजनाओं की पेयजल गुणवत्ता की जाँच नियमित सुनिश्चित की जायेगी। इसके अलावा WQMIS पोर्टल पर संबंधित हितधारकों द्वारा पेयजल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्टस को नियमित अपडेट कराना सुनिश्चित करेगी।

(iii) ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा पेयजल आपूर्ति के दौरान वितरण नेटवर्क, पंप हाउस और हाउस सर्विस कनेक्शन में होने वाले रिसाव की निगरानी और रिपोर्ट करके रिसाव प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाई जायेगी और उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) / संचालन एवं अनुरक्षण (O&M), वेंडर से समय पर रिसाव सुधार और बहाली सुनिश्चित कराएगी। ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) नलों में पानी की बर्बादी को रोकने और पानी के सर्वोत्तम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता भी बढ़ाएगी। किसी भी उपभोक्ता, पार्टी या संस्था द्वारा

(ii) पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों और / या उनकी उप-समितियों के लिए संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) खातों के प्रबंधन और परिचालन प्रक्रियाओं के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश निर्गत किया जायेगा।

(iii) ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग एवं नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के समन्वय से पेयजल स्रोतो के स्थायित्व के लिए एक उपयुक्त एवं तकनीकी रूप से ग्राह्य रणनीतिक योजना तैयार की जायेगी और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) / अन्य योजनाओं के कनवर्जेन्स से गॉवों में भूजल संचयन एवं ग्रे-वॉटर प्रबंधन गतिविधियो को लागू किया जायेगा. भूजल संचयन एवं ग्रे-वॉटर प्रबंधन से संबंधित संरचनाओं के निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि इसके कारण पेयजल स्रोत प्रदूषित न हो। जनपद स्तर पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM), उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) के समन्वय से भूजल संचयन एवं ग्रे वॉटर प्रबंधन की प्रभावी योजना बनाई जाएगी और उसे क्रियान्वित किया जाएगा।

(ज) सर्विस डिलेवरी एप्रोच/संचालन एवं अनुरक्षण मॉडल-

भूजल आधारित एकल/ बहुल ग्राम पाइप पेयजल योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण अनुरक्षण नीति-2024 के प्रस्तर-5 (अ) (क) (ख) एवं सतही स्रोत आधारित पेयजल योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण उपरोक्त नीति-2024 के प्रस्तर-5 (ब) के अनुसार किया जायेगा।

(झ) स्रोत की स्थिरता-

प्रदेश में पेयजल के स्रोतों की स्थिरता सुनिश्चित करना पेयजल आपूर्ति योजनाओं की दीर्घकालिक स्थायित्व के लिए **अत्यन्त** आवश्यक है। भूजल और सतही जल संसाधनो का प्रभावी प्रबंधन, भूजल के अत्यधिक दोहन को रोकना, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, समुदायों के लिए सुरक्षित पेयजल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है। उक्त हेतु राज्य स्तर पर 'सोर्स फाईडिंग कमेटी', जिसमें राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM), उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश भूजल विभाग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्राम्य विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे, का गठन किया जायेगा। उक्त समिति निम्नलिखित कार्यो के लिए उत्तरदायी होगी:-

- जिले एवं राज्य स्तर का वार्षिक जल बजट तैयार करना।
- सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना, जिसमें जल संरक्षण कार्यक्रम, वैकल्पिक स्रोत विकास, और जल रिसाईकलिंग एवं पुनः उपयोग कार्यक्रम शामिल होगा।
- पेयजल स्थायित्व को बनाए रखने के लिए विभिन्न स्रोतों के प्रबंधन के संबंध में सुझाव देना।

करके एक मजबूत डेटाबेस तैयार करेगी, जिससे पेयजल संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता सहित निर्णय लेने और वास्तविक समय निगरानी में सहायता मिलेगी। सोर्स फाईडिंग कमेटी, जिसमें राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्राम्य विकास विभाग और पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे, इस पोर्टल के माध्यम से जल संसाधन प्रबंधन की निगरानी करेगी और जल संसाधन की सुरक्षा तथा प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक योजना और निवारक उपायों के क्रियान्वयन हेतु सुझाव / संस्तुति उपलब्ध करायेगी।

(ट) सर्विस लेवल बेंचमार्क-

सभी ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं के निम्नलिखित सर्विस लेवल बेंचमार्क को उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु चयनित वेंडर्स के माध्यम से बनाए रखा जाएगा, ताकि पेयजल आपूर्ति योजनाओं के कुशल संचालन और अनुरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके:-

(i) ग्रामीण पेयजल योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समस्त ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त दबाव (न्यूनतम 7.0 मीटर) के साथ पर्याप्त मात्रा (55 lpcd) में नियमित रुप से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति किया जाना।
(ii) आईएस: 10500 (यथा संशोधित) के तहत निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए सभी उपभोक्ताओं को सुरक्षित और पीने योग्य पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
(iii) आईएस: 1622 (यथा संशोधित) और केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (CPHEEO) के मैनुअल -ऑन वॉटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट सिस्टम (ड्रिंक फ्रॉम टैप) पार्ट-वी-ऑपरेशन एंड मेन्टेनेन्स (सेकेंड एडिशन) के अनुसार पेयजल की नियमित गुणवत्ता टेस्टिंग का कार्य।
(iv) योजनाओं से पेयजल आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की स्थिति में निर्धारित समयान्तर्गत समाधान/वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना।

(ठ) पेयजल गुणवत्ता ढाँचा-

प्रदेश के सभी 75 जनपदों एवं राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के पास विभागीय वॉटर क्वालिटी टेस्टिंग लैब उपलब्ध है। उक्त के अतिरिक्त सतही स्रोत आधारित योजनाओं के वॉटर ट्रीटमेंट प्लान्ट में 72 इन हॉउस वॉटर क्वालिटी टेस्टिंग लैब स्थापित किये गए हैं। उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किये जा रहे पेयजल की गुणवत्ता की निगरानी के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(i) उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), राज्य और जिला स्तर की सभी प्रयोगशालाओं को केमिकल एवं बैक्ट्रोलाजिकल पैरामीटर्स के लिए National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories से मान्यता प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

का राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा क्रियान्वित केंद्रीकृत निगरानी पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM)/ उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा पी.एम.-गति शक्ति पोर्टल पर परियोजनाओं से संबंधित इन-विलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा आउट-विलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ सभी एट्रीब्यूट्स को भी अपलोड किया जायेगा। प्रत्येक योजना के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित करते हुए बुनियादी ढाँचे को व्यवस्थित रूप से ट्रैक और प्रबंधित किया जाएगा। डिजिटल रूप से परिसंपत्तियों के रखरखाव के फलस्वरूप पेयजल आपूर्ति प्रणाली के अनुरक्षण के लिए इसे संदर्भ के रूप में लिया जा सकेगा। इसके अलावा पाइपलाइन प्रतिस्थापन, रिसाव सुधार, या नए विस्तार क्षेत्रों के मामले में, संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी को कार्य पूरा होने के बाद जीआईएस पोर्टल को अपडेट करना होगा। सुधारात्मक एवं विस्तारित कार्यों के भुगतान को पोर्टल पर परिसंपत्ति के अपडेट से जोड़ा जा सकेगा।

(ड) जल संरक्षण, वितरण प्रबंधन और शून्य रिसाव नीति-

जल संसाधनों को संरक्षित करने और पेयजल का समुचित वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जल संरक्षण, वितरण प्रणाली एवं शून्य रिसाव नीति को तैयार कर प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कराया जायेगा। इस हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/ उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा निम्नवत कार्यवाही की जायेगी-

(i) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM)/जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs), सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC), क्रियान्वयन सहयोग एजेंसियों (ISAS) के माध्यम से जल संरक्षण एवं पेयजल के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जनजागरूकता कार्यक्रम, जिसमें "जल संचयन", "जल उत्सव" तथा "जल ज्ञान यात्रा" जैसे स्कूली अभियान शामिल हों, का आयोजन किया जायेगा।

(ii) उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) के दौरान जलापूर्ति योजनाओं में जल के रिसाव का पता लगाने तथा गैर-राजस्व पेयजल (NRW) के प्रबंधन के लिए एक व्यापक रणनीति विकसित और क्रियान्वित किया जायेगा, जिसमें पेयजल ऑडिट, नियमित पेयजल हानि की निगरानी, रिसाव का पता लगाना, दबाव प्रबंधन और रिसाव सुधार शामिल हैं। उक्त के लिए आधुनिक तकनीकी समाधानों का उपयोग भी शामिल है।

(ढ) ऊर्जा ऑडिट-

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा ऊर्जा दक्षता बढ़ाने, परिचालन लागत को कम करने और योजनाओं की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (CPHEEO) के मैनुअल / जल जीवन मिशन की संचालन और अनुरक्षण दिशानिर्देश के अनुसार पेयजल आपूर्ति योजनाओं में स्थापित विद्युत मशीनरी विशेष रूप से पंप, मोटर्स इत्यादि की आवधिक ऊर्जा ऑडिट सुनिश्चित करेगा तथा ऊर्जा ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर सुधारात्मक उपायों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।